

प्रेस नोट दिनांक 10.06.2025

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ0नि0 दीपक कुमार यादव हमराह का0 छत्रपाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, केस नं0 211/24 में निर्गत धारा 147 बीएनएसएस से संबंधित वारंटी अभियुक्त नासिर पुत्र खालिद निवासीग्राम शीतलागंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शीतलागंज के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- नासिर पुत्र खालिद निवासीग्राम शीतलागंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 दीपक कुमार यादव हमराह का0 छत्रपालव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर के उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ला मय हमराह का0 संजीव व का0 अजीत शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 1282/02 धारा 323/504/506 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त हेमराज पुत्र गन्शू निवासी मनार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शीतलागंज के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- हेमराज पुत्र गन्शू निवासी मनार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अचिन्त्य शुक्ला मय हमराह का0 संजीव व का0 अजीत शर्मा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दुष्कर्म, अपहरण, पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के जेठवारा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ०नि० अमित वर्मा मय हमराह हे०का० राधेश्याम सुमन शर्मा, का० प्रमोद यादव द्वारा दिनांक 10.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 137(2), 70(2), 352, 351(3) बीएनएस व 5(g), (1)/6 पाक्सो एक्ट व 3(1) (ब), 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)va, 3(2)v एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त, अजय पाल पुत्र घनश्याम पाल निवासी ग्राम मंशा का पुरवा कन्हैया नगर थाना बाघराय प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के जेठवारा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.अजय पाल पुत्र घनश्याम पाल निवासी ग्राम मंशा का पुरवा कन्हैया नगर थाना बाघराय प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अमित वर्मा मय हमराह हे०का० राधेश्याम सुमन शर्मा, का० प्रमोद यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

➡हत्या का प्रयास करने वाला वांछित 01 अभियुक्त माया उर्फ अब्दुल मलिक थाना रानीगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार — पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही

➡थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

वादी का चिरकुट्टी चौराहा थाना रानीगंज में ढाबा संचालित करता है । दिनांक 15/03/2025 की रात्रि को जब वादी अपना ढाबा बन्द करके मोटरसाइकिल से अपने घर रैनीसतखरिया जा रहा था, जैसे ही थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-रामगढ़ (बभनमई) में स्थित ईंट भट्टा के पास पहुँचा था । कि पीछे से एक बोलेरो से मो. रईस सुत नासिर निवासी जोगापुर प्रतापगढ़ अपने साथ दो अन्य अज्ञात साथियों को साथ लेकर आया, वादी को जान से मारने की नियत से आरोपीगण द्वारा गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडा व सरिया से जमकर मार-पीट की गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 67/25 धारा 115 (2) / 352/351 (3)/109(1)/324(4) बीएनएस बनाम 01 नामजद व 02 अज्ञात व्यक्तियों का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ०नि० शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ०नि० अमित कुमार सिंह, हे०का० अमरनाथ यादव का० देवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज में पंजीकृत मु०अ०सं० 67/25 धारा 115

(2) / 352/351 (3)/109(1)/324(4) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त माया उर्फ अब्दुल मलिक पुत्र स्व0 अब्दुल रशीद निवासी ताला थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- माया उर्फ अब्दुल मलिक पुत्र स्व0 अब्दुल रशीद निवासी ताला थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 अमित कुमार सिंह, हे0का0 अमरनाथ यादव का0 देवेन्द्र सिंह थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

➡ पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

➡ हत्या का प्रयास, गाली गलौज देने के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡ थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत भिन्न-भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 16.03.2025 को वादी थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर कल्हवारी अपने घर के सामने टहल रहा था, तभी बैंगनार कार से आरोपीगण आये व वादी को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग की गई। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 43/25 धारा 191(2)/191(3)/190/352/109 बीएनएस बनाम 02 नामजद व 03 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 वारिज कसेरा मय हमराह हे0का0 शोभनाथ राम, का0 अरविन्द कुमार, का0 आशीष कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 43/25 धारा 191(2)/191(3)/190/352/109 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों, 01.अरुण उर्फ तूफान यादव पुत्र बालेन्द्र भूषण यादव निवासी ग्राम देवापुर सकली थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के ग्राम सिरसा व देवापुर सकली के निर्माणाधीन रोड के पास से एवं 02. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 रामदुलारे सरोज निवासी ग्राम आशापुर थाना जेठवारा प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अरुण उर्फ तूफान यादव पुत्र बालेन्द्र भूषण यादव निवासी ग्राम देवापुर सकली थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

02. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 रामदुलारे सरोज निवासी ग्राम आशापुर थाना जेठवारा प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 वारिज कसेरा मय हमराह हे0का0 शोभनाथ राम, का0 अरविन्द कुमार, का0 आशीष कुमार थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, गाली-गलौज, मारपीट, धमकी के अभियोग से संबंधित वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की रॉड बरामद ।

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत दिलीपपुर नहर पुलिया भट्टे के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-09.06.2025 को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रयागपुर औरिस्ता निवासी वादी अपनी पत्नी व बच्चे के इलाज हेतु न्यूरो सर्जन कार्तिकेय शर्मा प्रयागराज जा रहा था । देवन मऊ खमपुर के पास आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डा, लोहे की रॉड से हमला कर घायल करने, गाली गलौज व धमकी देने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 100/25 धारा 190/191 (2)/191(3)/115(2)/ 352/ 351(3) /324(5)/109(1) बीएनएस बनाम 07 नामजद व 5-6 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री शत्रुघन वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह उ0नि0 विवेक यादव, उ0नि0 पंकज वर्मा, का0 स्वामीनाथ द्वारा देखभाल क्षेत्र, जाँच प्रा०पत्र पेडिंग विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 100/25 धारा 190/191 (2)/191(3)/115(2)/352/351(3)/324(5)/109(1) बीएनएस से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तों, 01.कैफ पुत्र जावेद निवासी ग्राम खमपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़, 02. सालिम पुत्र ईशा निवासी ग्राम खमपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत दिलीपपुर नहर पुलिया भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. कैफ पुत्र जावेद निवासी ग्राम खमपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

02. सालिम पुत्र ईशा निवासी ग्राम खमपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त कैफ ने पूछताछ में बताया कि गाडी को साइड देने की बात को लेकर मेरी व वादी मुकदमा के मध्य मारपीट व तोड़फोड़ की घटना हुयी थी । मारपीट व तोड़फोड़ के बाद लोहे की रॉड दिलीपपुर नहर भट्टे के पास सरपत के झुण्ड में मैंने फेक दिया था । अभियुक्त के निशानदेही पर 01 अदद लोहे की राड सरपत की झुण्ड से बरामद की गई।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की रॉड बरामद ।

पुलिस टीम-

उ०नि० रमिल कुमार मय हमराह उ०नि० विवेक यादव, उ०नि० पंकज वर्मा, का० स्वामीनाथ थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़

चोरी की ०१ अदद बैटरी(ट्रैक्टर की) के साथ ०२ शातिर अभियुक्तों को थाना अंतू पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

थाना अंतू पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र के अमेठी प्रतापगढ़ मार्ग पर स्थित एफसीआई गोदाम जाने वाली मार्ग पर स्थित वाग एवं झाड़ियां से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम- पारा हमीदपुर (गड़ही) में दिनांक- ०७/०६/२०२५ की रात्रि को वादी के दरवाजे पर खड़े उसके ट्रैक्टर की बैटरी को गाँव के ही चाहत वर्मा पुत्र उमेश वर्मा, करन वर्मा पुत्र नन्हे वर्मा चोरी से खोलकर उठा ले गये हैं । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० १८८/२५ धारा ३०३ (२) बीएनएस बनाम ०२ नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्व) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्येक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में थाना अंतू के उ०नि० गौतम बनर्जी मय हमराह का० अनिल यादव चालक कांस्टेबल मनीष कुशवाहा द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० १८८/२५ अंतर्गत धारा ३०३(२) BNS से संबंधित ०२ अभियुक्तों, ०१. करन वर्मा पुत्र नन्हे वर्मा निवासी ग्राम पारा हमीदपुर गड़ही थाना अंतू प्रतापगढ़ उम्र करीब २२ वर्ष, ०२. चाहत वर्मा उम्र उमेश वर्मा निवासी ग्राम पारा हमीदपुर गड़ही थाना अंतू प्रतापगढ़ उम्र करीब १९ वर्ष को चोरी की ०१ अदद बैटरी के साथ थानाक्षेत्र अंतू के अमेठी प्रतापगढ़ मार्ग पर स्थित एफसीआई गोदाम जाने वाली मार्ग पर स्थित वाग एवं झाड़ियां से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी की ०१ अदद बैटरी बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा ३१७ (२) BNS की बढ़ोत्तरी की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

०१. करन वर्मा पुत्र नन्हे वर्मा निवासी ग्राम पारा हमीदपुर गड़ही थाना अंतू प्रतापगढ़ उम्र करीब २२ वर्ष।
०२. चाहत वर्मा उम्र उमेश वर्मा निवासी ग्राम पारा हमीदपुर गड़ही थाना अंतू प्रतापगढ़ उम्र करीब १९ वर्ष।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक ०७.०६.२५ की रात्रि में वादी के घर के बाहर खड़ी ट्रैक्टर ट्राली की इंजन में लगे बैटरी को हम दोनों खोलकर चोरी से उठा ले गए थे । जिसे हम दोनों आज उसे बेचने के लिए ले जा रहे थे ।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की ०१ अदद बैटरी बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 गौतम बनर्जी मय हमराह का0 अनिल यादव चालक कांस्टेबल मनीष कुशवाहा थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महुआये मोड के पास से किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी की दुकान ग्राम बभनी थाना अन्तू प्रतापगढ़ में है । जिसकी दुकान पर शिव प्रसाद पाण्डेय व सुभाष पाण्डेय के आने-जाने के कारण वादी से मित्रता हो गई। दोनों ने एक अज्ञात व्यक्ति को सदाशिव यादव बताकर उसकी जमीन बेचने की बात कही और फर्जी दस्तावेज दिखाकर दिनांक 24.11.2020 को 20 लाख रुपये में बैनामा करा दिया। बाद में पता चला कि व्यक्ति व दस्तावेज फर्जी थे। आरोपितों ने कुल 25 लाख रुपये ठगी कर लिए और अब धमकी दे रहे हैं। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 530/21 धारा 419/420/406/467/468/471/506 भादवि बनाम 02 नामजद व 01 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री जयचन्द भारती के नेतृत्व में उ0नि0 लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह, का0 विमल कुमार, का0 मलखान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 530/21 धारा 419/420/406/467/468/471/506 भादवि से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त, शिव प्रसाद पाण्डेय पुत्र रमाशंकर पाण्डेय निवासी महुआये जोगीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम महुआये मोड के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.शिव प्रसाद पाण्डेय पुत्र रमाशंकर पाण्डेय निवासी महुआये जोगीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह, का0 विमल कुमार, का0 मलखान थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।